उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं0–74/2019–20

इलाहाबाद बैंक, मुख्य शाखा, बी0एस0सिटी, बोकारो

बनाम्

श्रीमति शहनाज खातुन एवं अन्य

–: आदेश :–

17.12.2020

प्राधिकृत पदाधिकारी, इलाहाबाद बैंक, मुख्य शाखा, बी0एस0सिटी बोकारो द्वारा धारा 14 (**1 and 2**) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSESTS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के तहत श्रीमति शहनाज खातुन पति फिरोज खान 2. फिरोज खान 3. जमाल खान दोनो पिता स्व0 जलील खान सा0–करबला रोड, सुलतान नगर, चास बोकारो के विरूद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप न्यायालय में उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ किया गया एवं सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित करते हुए उभय पक्षों को अपना–अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष इलाहाबाद बैंक, मुख्य शाखा, बी0एस0सिटी, बोकारो की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा उपस्थिति दर्ज की गई और अपना पक्ष रखा। उनके द्वारा कहा गया कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (Khata No. 142 Plot no. 4031 Mouza-Chas (30) Thana Chas, Anchal- Chas Bokaro, Area-02 dec. pertaining to Regd. Sale deed no. 4041 dated 18-11-2017 executed in favour of Smt. Shahnaj Khatoon at DSR Bokaro.) को गिरवी रखते हुए बैंक से 23,75,000.00 (तेईस लाख पचहत्तर हजार) ऋृण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋृण की वापसी में अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण ऋणकर्त्ता का खाता दिनांक–24.08.2019 को ही एन0पी0ए0 हो गया है। वर्तमान में ऋणकर्त्ता पर कुल रूपये 24,66,000/– एवं ब्याज के साथ अन्य शुल्क का बकाया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT–2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजुद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया। अतः उन्होंने SARFAESI ACT–2002 की धारा 14 (1 and 2) के तहत विपक्षी की सम्पत्ति पर दखल–कब्जा प्राप्त करने में शांति व्यवस्था भगं नहीं हो इसके लिए उनके द्वारा पुलिस बल की माँग की गई है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दलील दिया गया कि उन्होंने व्यवसाय हेतु ऋण लिया था किन्तु उनका व्यवसाय ठीक से नहीं चला, जिसके कारण वह ऋण की राशि को समय पर नहीं लौटा पाये और उनका खाता एन0पी0ए0 हो गया। विद्वान अधिवक्ता के द्वारा ऋण की राशि चुकाने के लिए जनवरी–2020 तक का समय देने का अनुरोध किया है।

दोनो पक्षों की दलील एवं अभिलेख में संधारित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष का ऋण खाता एन0पी0ए0 होने के पश्चात उनके द्वारा ऋण की राशि वापस करने के लिए अब तक कोई ठोस पहल नहीं किया गया और न ही उनके द्वारा अब तक ऐसा कोई आधार/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रतीत हो कि उनके द्वारा ऋण की राशि वापस कर दी जाएगी। किन्तु ऋणकर्त्ता के द्वारा ऋण चुकाने हेतु कुछ और समय की माँग की गई है। ऐसे में उनके अनुरोध पर सहानूभूतिपूर्वक विचार करते हुए उन्हें ऋण चुकाने के लिए एक अंतिम अवसर के रूप में **माह जनवरी–2021 तक का समय आदेश निर्गत की तिथि से** दिया जाता है। उक्त अवधि में यदि ऋणकर्त्ता, ऋण चुकाने में असफल होते है तो SARFAESI ACT–2002 की धारा 14(1 एवं 2) निहित प्रावधानों के तहत प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि–व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, चास आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।